भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *219

जिसका उत्तर 13.03.2025 को दिया जाना है

सार्वजनिक परिवहन में आईटीएस को मजबूत करना

*219. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लि:

श्री जी. एम. हरीश बालयोगी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक परिवहन प्रणाली योजना में इंटेलिजेंट परिवहन प्रणाली (आईटीएस) को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश के किसी परिवहन निकाय को शामिल किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य निकायों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की तिथि से आंध्र प्रदेश में परिवहन निकायों के लिए इस योजना के तहत आवंटित / जारी / उपयोग की गई धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत केंद्र सरकार के हिस्से के लिए केंद्र सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और यदि हां, तो इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए प्रस्तुत और स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस योजना के तहत केन्द्रीय हिस्से का प्रतिशत बढ़ाया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस योजना के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार की इस योजना को 15वें वित्त आयोग की अवधि से आगे बढ़ाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (च) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

"सार्वजनिक परिवहन में आईटीएस को मजबूत करना" के संबंध में श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लि और श्री जी. एम. हरीश बालयोगी द्वारा पूछे गए दिनांक 13.03.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *219 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) जी, हां। आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (एपीएसआरटीसी) को "देश में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में कुशल परिवहन प्रणाली (आईटीएस) को मजबूत करने के लिए केंद्रीय सहायता" योजना में शामिल किया गया है। विवरण निम्नलिखित हैं:

क्र.सं.	परिवहन निकाय	प्रस्ताव	वर्ष	स्वीकृत केंद्रीय योगदान (करोड रु. में)	वर्ष-वार जारी निधि (करोड रु.में)	
1.	एपीएसआरटीसी	एपीएसआरटीसी में 'बस ट्रैकिंग एंड सेंट्रलाइज्ड फेयर कलेक्शन सिस्टम' परियोजना का कार्यान्वयन	2012	10.65	2011-12	5.33
					2012-13	3.19
					2015-16	2.13
					कुल	10.65
2.	एपीएसआरटीसी	एपीएसआरटीसी में यूनिफाइड टिकटिंग सोल्यूशन (यूटीएस) का कार्यान्वयन	2021	29.71	2021-22	14.69
					2022-23	9.08
					2023-24	5.94
					कुल	29.71

(ग) सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए सौंपे गए राज्य परिवहन उपक्रम/राज्य परिवहन निगम/सार्वजनिक निजी भागीदारी संगठन/राज्य सरकार निकाय (परिवहन निकाय) इस योजना के तहत सहायता के लिए पात्र हैं। इस पात्रता के अनुसार, एपीएसआरटीसी ने 2024 में 22.81 करोड़ रुपये की राशि के "एपीएसआरटीसी में यूनिफाइड टिकटिंग सोल्यूशन (यूटीएस) के कार्यान्वयन" के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(घ) जी, हां। सरकार ने जून, 2022 में स्वीकृत संशोधित योजना के तहत केंद्रीय योगदान को 50% से बढ़ाकर 70% कर दिया है।

(ड.) मंत्रालय की अनुदान मांगों की संसद से स्वीकृति के बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए योजना का बजट आवंटित किया जाएगा।

(च) वर्तमान योजना वित्त वर्ष 2025-26 तक वैध है।

*****